




## कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

प्रशिक्षण/ भ्रमण व अन्य कार्यकर्मों के लिये दैनिक आधार पर/ मांग पर वाहन (टैक्सी/ मालवाहक/ बस परमिट सहित) उपलब्ध करवाने हेतु निविदा (वर्ष 2019-20)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2019-20 / सं. 02/
निविदा क्रम संख्या	क्रमांक:एफ()/कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/92 दिनांक:-08.06.2019 (UBN JAU1920SSOB00035)
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / -रुपये रसीद संख्या:.....दिनांक:.....
निविदा वर्ष	2019-20
वाहन उपलब्ध कराने की अनुमानित अवधि	जून 2019 से मार्च 2020
अनुमानित लागत	रु. 500000 / -
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	10.06.2019 से 17.06.2019 सुबह 11.30 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	17.06.2019 दोपहर 01.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	17.06.2019 दोपहर 01.30 बजे बाद
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
पत्राचार हेतु पता	प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) (राज.) 344021

नोट:- धरोहर राशि कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर में किसी भी कार्य दिवस में जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 17.06.2019 दोपहर 01.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा जो कि ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हों, जमा करायी जा सकती हैं।

संलग्न:-निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें-

  
प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर  
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर  
निविदा प्रपत्र

(प्रशिक्षण/ भ्रमण व अन्य कार्यक्रमों के लिये दैनिक आधार पर/ मांग पर वाहन (टैक्सी/ मालवाहक/ बस परमिट सहित) उपलब्ध करवाने हेतु )

निविदा प्रपत्र शुल्क रु 500 /- (अक्षरे रु. पाँच सौ मात्र ) रसीद संख्या ..... दिनांक .....

निविदा सूचना क्रमांक एफ./कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/92 दिनांक 08.06.2019 के तहत कृषि विश्व विद्यालय, जोधपुर के कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/ भ्रमण व अन्य कार्यक्रमों में के लिये दैनिक आधार पर/ मांग पर वाहन (टैक्सी/ मालवाहक पिकअप/ बस परमिट सहित) उपलब्ध करवाने हेतु करने की निविदा प्रपत्र धरोहर राशि रु 10000 /- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक संख्या ..... दिनांक .....

निविदादाता का नाम व पूरा पता .....

दूरभाष नंबर यदि हो : ..... मो. नंबर .....

क्र. सं.	टैक्सीबस/ मालवाहक / विवरण	दर (ए. सी.)	दर (नॉन ए. सी.)
1.	बोलेरों		
	1. किराया 04 से 06 दिन में 800 km तक		
	2. किराया प्रति दिन 200 km तक		
	3. प्रति दिन 200 km एवं 04 से 06 दिन में 800 km से अधिक चलने पर प्रति km किराया		
2.	बोलेरों पिकअप 1.5 टन		
	1. किराया 04 से 06 दिन में 800 km तक	आवश्यकता नहीं	
	2. किराया प्रति दिन 200 km तक	आवश्यकता नहीं	
	3. प्रति दिन 200 km एवं 04 से 06 दिन में 800 km से अधिक चलने पर प्रति km किराया	आवश्यकता नहीं	
3.	बोलेरों कैंपर		
	1. किराया 04 से 06 दिन में 800 km तक		
	2. किराया प्रति दिन 200 km तक		
	3. प्रति दिन 200 km एवं 04 से 06 दिन में 800 km से अधिक चलने पर प्रति km किराया		
4.	बस 35 सीटर		
	1. किराया 04 से 05 दिन में 1200 km तक	आवश्यकता नहीं	
	2. 04 से 05 दिन में 1200 km से अधिक चलने पर प्रति km किराया	आवश्यकता नहीं	
5.	बस 52 सीटर		
	1. किराया 04 से 05 दिन में 1200 km तक	आवश्यकता नहीं	
	2. 04 से 05 दिन में 1200 km से अधिक चलने पर प्रति km किराया	आवश्यकता नहीं	

*Handwritten signature*

हस्ताक्षर निविदादाता (ठेकेदार)

## परिशिष्ट-2


### वाहन उपलब्ध करवाने हेतु निविदा की सामान्य शर्तें

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

1. निविदाता के पास गत तीन वर्षों से न्यूनतम एक वर्ष का केंद्रीय अथवा राजकीय सरकारी कार्यालय/केंद्रीय अथवा राजकीय स्वायत्तशासी संस्था/केन्द्रीय अथवा राजकीय विश्वविद्यालय में निविदा से संबंधित कार्य किये जाने बाबत अनुभव होना अनिवार्य हैं जिसके निविदाता द्वारा निविदा के साथ संबंधित दस्तावेज संलग्न किया जाना।
2. अधिकतम मदो में न्यूनतम करदाता फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ निविदा में उल्लेखित कार्य संबंधी पंजीकरण प्रमाण किया जाना हे।
4. निविदादाता को राजस्थान परिवहन अधिनियम/नियमों के अधीन पंजीकरत वाहन उपलब्ध करवाने होंगे।
5. कार्यालय प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी बाड़मेर द्वारा वाहन मांगने पर तत्काल (3 घंटे में ) उपलब्ध करवा दिया जायेगा।
6. वाहन की प्रति किलोमीटर, प्रति दिन डीजल सहित दरे देनी होगी। दरें स्पष्ट पठनीय अंको व् शब्दो की प्रति किलोमीटर, प्रति दिन डीजल सहित दरें देनी होगी। दरें स्पष्ट पठनीय अंको में बिना कांट -छांट देनी होगी। निविदा प्रपत्र के साथ रुपए 10000 /- धरोहर राशि बैंकर्स चैक/डी.डी. द्वारा ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी के नाम जमा करवानी होगी।
7. अर्नेस्टमनी तथा निविदा शुल्क के आभाव में निविदा पूर्णतया निरस्त मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जयेगा।
8. निविदा में वांछित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी बाड़मेर को होगा।
9. निविदा स्वीकृत होने पर 25000 /- रु. डी.डी. द्वारा प्रतिभूति राशि के रूप में ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी के नाम से जमा करवाने होंगे जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। तथा उक्त राशि अनुबंध के सुचारु रूप से सम्पूर्ण होने के बढ नियमानुसार लौटाई जावेगी। निविदा के साथ जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में समायोजियत कर ली जावेगी।
10. सफल निविदा को नियमानुसार देय राशि के नोन - ज्यूडीशियन स्टाम्प पर 03 दिवस में अनुबंध करना होगा।
11. वाहन में किसी प्रकार की टूट फूट, चालान, चोरी तथा एकसीडेंट होने पर उसके लिए वाहन मालिक ही उत्तरदायी होगा। प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी, बाड़मेर की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार के मुवावजे इत्यादी की भरपाई प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी, बाड़मेर द्वारा नहीं की जाएगी।
12. वाहनों का उपयोग, कृषक भ्रमण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन व कार्यालय दौरों में परिवहन हेतु राजस्थान प्रदेश से बाहर भी किया जायेगा जिसका कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
13. वहां उपयोग हेतू स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। राज्य सरकार को नियमानुसार देय समस्त प्रभार/ टैक्स/जी.स.टी./टोल टैक्स इत्यादि का भुगतान स्वयं संवेदक द्वारा किया जायेगा।

*R. J. S. S.*

14. प्रतिदिन की दर की लिए गए वाहन हेतु 200 किमी. तक, 04 से 06 दिवस के लिए 800 किमी. तक तथा 04 से 05 दिवस के लिए 1200 किमी. तक न्यूनतम निर्धारित भुगतान किया जायेगा।
15. वाहन एवं वाहन चालक के समस्त कागजात नियमानुसार पूर्ण एवं अधतन होने चाहिये।
16. वाहन का पंजीकरण संबंधित व्यय एवं ड्राइवर लाइसेंस आदि की वयवस्था संवेदक की होगी। यदि वाहन विभाग द्वारा कोई पेनल्टी लगाई जाती है तो उसके भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा। समस्त दस्तावेजों (वहां पंजीकरण, बिमा, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ड्राइवर के लाइसेंस आदि) की प्रमाणित वाहन उपलब्ध करवाते समय कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
17. किसी भी यात्रित/परीस्थितिजन्य त्रुटि के कारण कार्यालय प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी, बाड़मेर प्रयोजनार्थ की जा रही यात्रा में यदि प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी, बाड़मेर को अतिरिक्त मूल्य वाहन की व्यवस्था करने पर वहन करना होता है तो उक्त राशि फर्म के बिल में समायोजित की जावेगी।
18. अनुमोदित प्रदायक को यह सुनिश्चित करना होगा की प्रत्येक वाहन प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी, बाड़मेर कार्य हेतु प्रयुक्त होना है में किलोमीटर रीडिंग दर्शाने वाला मीटर सही ढंग सर चल रहा है।
19. किसी स्थान विशेष की प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी, बाड़मेर प्रयोजनार्थ यात्रा में यदि किमी. रीडिंग असमान्य रूप से परवर्तित होना प्रतीत होती है तो किमी. का निर्धारण पीडब्ल्यूडी/रोडवेज द्वारा प्रकाशित मानचित्र में अंकितनुसार किया जाकर भुगतान उसी अनुरूप किया जा सकेगा।
20. अनुबंध की अवधि में किसी भी संविदा विरुद्ध स्थिति फर्म द्वारा यदि उत्पन्न होती है अथवा निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोष ढंग से पूरा किया जाता है जो प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केंद्र, समदड़ी बाड़मेर को फर्म धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि को पूर्ण अथवा अंशतः जब्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
21. निविदा सूचना प्रपत्र में संलग्न समस्त शर्तों का पालन करने की सहमति देने के प्रमाण स्वरूप निविदा प्रपत्र एवं शर्तों के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने हैं।
22. निविदादाता द्वारा बिल कार्य समाप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करना होगा। प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसन्धान उप केन्द्र, समदड़ी द्वारा फर्म को सामान्यतः भुगतान बिल में यदि कोई कमी नहीं है तो बिल प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम एक माह की अवधि (अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर) में भुगतान कर दिया जायेगा।
23. सफल निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके किसी भी भाग को न तो किसी अन्य एजेंसि को सौंप सकेगा एवं नहीं किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
24. वाहन का पंजीकरण उपयोग की श्रेणी के अनुसार होना चाहिए।
25. बयाना राशि निम्न परिस्थितियों में जब्त कर ली जायेगी।
  - (i). निविदा स्वीकृति वापस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरिय कर देता है।
  - (ii). निर्धारित अवधि में करार का निष्पादन नहीं करता है।
  - (iii). निहित समय के भीतर आपूर्ति आदेश के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।
26. निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्त अन्य नियम जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगी।



27. अन्य शर्तें /सुसंगत प्रावधान प्रयोजना में अंगीकृत बजट, कृषि विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार के आदेशों में यथा वर्णितानुसार लागू होंगे।
28. विवाद होने पर सिवाना/ बालोतरा के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेगा।
29. इस निविदा एवं अनुबन्ध के संबंध में अन्य शर्त एवं नियम जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।
30. वाहन समदड़ी से किसी गंतव्य स्थान पर जाने एवं वापस आने पर यात्रा में उपयोग होने वाले ईन्धन एवं वाहन की मरम्मत संबंधी समस्त व्यय संवेदक को वहन करने होंगे एवं डीजल/टैक्स/बीमा की दरों में कमी/ वृद्धि पर दरें प्रभावित नहीं होंगी।
31. यात्रा/ माल परिवहन के दौरान वाहन चालक किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेगा तथा विधि एवं नियमों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा।
32. वाहन की दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी पक्ष की क्षतिपूर्ति के लिए केवल संवेदक उत्तरदायी होगा तथा प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
33. मांग पर वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य वाहन की व्यवस्था निविदादाता की जिम्मेदारी पर की जावेगी, जिसकी अंतर राशि की वसूली संवेदक से की जावेगी।
34. प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी में आपूर्ति वाहन का पंजीकरण वर्ष 2014 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
35. इस अनुबन्ध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर का निर्णय अंतिम होगा, जो अनुबंधकर्ता को बाध्यकारी होगा।
36. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
37. यह अनुबन्ध करार की दिनांक से मार्च 2020 तक मान्य होगा जो कि प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र एवं संवेदक की परस्पर सहमति से नियमानुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।

  
प्रभारी अधिकारी

मुझे (निविदादाता) उपरोक्त समस्त शर्तें मंजूर हैं एवं मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय शील